# न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर बस्ती ।

वाद संख्याः 39/ अन्तर्गत धारा 80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता–2006
क0 वाद संख्या टी 20171714530354048 बाबत ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती।

राना पतरु सिंह नरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय केवचा बस्ती द्वारा प्रबन्धक राना नागेश प्रताप सिंह ————————बनाम————————सरकार

**निर्णय**

वादी राना पतरु सिंह नरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय केवचा बस्ती द्वारा प्रबन्धक राना नागेश प्रताप सिंह पुत्र राना कृष्ण किंकर सिंह निवासी ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 229मि/1.055 हे0 भूमि स्थित ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि पर वादी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार सदर बस्ती की आख्या दिनांक 07.12.2016 को अग्रसारित कर प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1420–1425 फसली के खाता संख्या 37 के गाटा संख्या 229मि./1.055 हे0 भूमि पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार उक्त भूमि गाटा संख्या 229मि./1.055 हे0 भूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है। व्यवसायिक प्रयोजन के रुप में भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त विवादित भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में कि ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1420–1425 फसली के खाता संख्या 37 के गाटा संख्या 229मि./1.055 हे0 भूमि पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। पत्रावली में निर्धारित प्रारूप पर आख्या संलग्न है। तहसील की आख्यानुसार विवादित भूमि गाटा संख्या 229मि./1.055 हे0 भूमि पर वादी द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। भूमि का आवासीय प्रयोजन घोषित कराने के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा ट्रेजरी चालान संख्या 60060 दिनांक 12.04.2017 से रुपया 29,540 जमाकोष किया गया है। ट्रेजरी चालान की मूलप्रति संलग्न पत्रावली है। वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख मे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

अतः ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1420–1425 फसली के खाता संख्या 37 के गाटा संख्या 229मि./1.055 हे0 भूमि को राना पतरु सिंह नरेन्द्र बहादुर सिंह महाविद्यालय केवचा बस्ती द्वारा प्रबन्धक राना नागेश प्रताप सिंह पुत्र राना कृष्ण किंकर सिंह निवासी ग्राम केवचा, तप्पा पिलाई, परगना नगर पूरब, तहसील व जिला बस्ती के नाम व्यवसायिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रुपया 1.55 भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक-बस्ती को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांकः 11 अगस्त,2017

(कीर्ति प्रकाश भारती)
उप जिलाधिकारी
बस्ती–सदर।

Rana
प्रबन्धक
पतरु सिंह नरेन्द्र बहादुर सिंह
शिक्षा प्रसार समिति
केवचा बस्ती
TRUE COPY

Date of Institution 21/9/17
Date of Preparation 21/9/17
Date of Delivery 21/9/17